न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीषधविशेष न्यायाधीश,(भ्र0 नि0अधिनियम) कक्ष सं0–1 बरेली
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 502/2026(295/2026)

CNR No.UPBR010021872026

रनजीत सिंह पुत्र वीर सिंह
निवासी हरसिंहपुर, थाना–पूरनपुर जिला–पीलीभीत। .....**प्रार्थी/अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–85/2024
धारा–420,467,468,471,504,506भा0दं0सं0
थाना– कोतवाली, जनपद–बरेली।

दिनांक–19..02.2026

प्रार्थी/अभियुक्त रनजीत सिंह की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र सं0 502/2026(295/2026)मुकदमा अपराध संख्या–85/2024 धारा–420,467,468,471,504,506भा0दं0सं0 थाना– कोतवाली, जनपद–बरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह कानून में आस्था रखने वाला साधारण नागरिक है।उसने ऐसा कोई कार्य नही किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थीध्अभियुक्त को षडयंत्र के तहत फसाया गया है। जबकि वह पूर्णत्या निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्याधिक विलम्ब से अर्सा करीब नौ माह बाद दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई कारण नही दर्शाया है। वादी मुकदमा द्वारा न ही अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट और न ही अपने ब्यानो में प्रार्थीध्अभियुक्त से किसी किस्म का कोई सम्बन्ध बताया गया है, न ही कभी प्रार्थीध्अभियुक्त का कोई रूपया दिया जाना बताया गया है। उसको प्रस्तुत मुकदमे के अभियुक्त मनप्रीत उर्फ मुन्ना ने स्वंय को बचाने के लिये प्रार्थी को प्रस्तुत मुकदमे में षडयंत्र के तहत प्रार्थी के साथ घोखाधड़ी करके अपनी बातों में फंसाकर अभियुक्त बनवा दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। उसको किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करके जेल नही भेजा गया है।उसकी जमानत माननीय अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2026 को निरस्त की जा चुकी है। जिसका खारिजा आदेश जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।उसकी गिरफ्तारी झूठे व मनगढंत तथ्यों के आधार पर फर्जी कहानी बनाकर दर्शायी गयी है। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा और प्रस्तुत मुकदमें के विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये सभी दिशा–निर्देशो का पालन करेगा।वह उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है और माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानती दाखिल करने को तैयार है। उपरोक्त के आधार पर जमानत की प्रार्थना की गयी है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा सुरजीत सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीधक महोदय जनपद बरेली संबोधि करते हुए प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी सुरजीत सिहं पुत्र श्री दर्शन सिहं निवासी ग्राम साफूवाला धाना सदर मोगा जिला मोगा पंजाब का रहने वाला हूँ मुझे 02 Thar Car खरीदनी थी जिसके हेतु मैने अपने Instagram व Facebook पर पोस्ट डाला जिसके माध्यम से मुझे एक औरत जिसका नाम राजवीर कौर व एक व्यक्ति जिसका नाम मनप्रीत सिहं उर्फ मुन्ना ने फोन से सम्पर्क करा जिसका मोबाइल न0 74570XXXXX, 81930XXXXX,82659XXXXX, है और मुझसे कहा कि हम महेन्द्र एण्ड महेन्द्र एजेन्सी से बोल रहे है। मैं बरेली की ब्रान्च मोसाराम एन्टरप्राइस की Sales Executive राजवीर कौर बात कर रही हूँ। आपको थार गाडी चाहिए मैंने बोला हाँ मुझे गाडी चाहिए तो उन्होने मुझे गाडी का मूल्य व उसके सम्बन्धित जानकारी दी। जिसमे उन्होने बताया Thar Four wheel जिसकी कीमत 16,00,000/– बताई व 2,00,000/– एडीशीनल डिस्कानउट बताया, पजाब में गाडी पे तीन महीने की प्रतीक्षा होने की वजय से मुझे वहाँ गाडी नही मिल पा रही थी इन्होने मुझे पन्द्रह दिन में डिलीवरी का आश्वासन दिया वह मनप्रीत को अपना बस बताकर करायी उन्होने मुझे पैसे के लेन देन के बारे मे बताया कि आपको पहले कुछ ऑनलाईन महेन्द्रा अकाउन्ट मे बुकिंग कीमत डालनी होगी। मैंने विश्वास मे आकर 19–4–2023 को 4,50,000/– उस अकाउन्ट मे डलवा दिये।

सोशल साइट के माध्यम से हुये सम्पर्क द्वारा मुझे उन पर शक हुआ। क्योंकि वह मेरा फोन नहीं उठाते थे जब मैं कॉल करता था तथा वह मेरा फोन नहीं उठाते थे। जब मैं करता था तथा बाद में वह फोन करते थे। मैंने उनसे खुद बरेली आने के लिये कहा उन लोगों ने मुझे 26–04–23 को बरेली बुलाया। मैं महेन्द्र की ब्रांच मोसाराम इण्टर प्राइज बरेली पहुँचा था। यहाँ मैंने इन्हे फोन करा तो इन दोनो ने मुझे रामगंगा से आगे अक्खा मोड मन्दिर के पास बुलाया कि हम वहाँ गाडी की डिलीवरी देने गये है। जोकि था विसारतगंज में है। जब मैं वहाँ अक्खा मोड मन्दिर के पास पहुँच कर इन्तजार कर रहा था मेरे पास दो लडके व एक लडकी सिफ्ट डेजायर से सवार होकर मेरे पास पहुँचे जिन्होने अपना नाम मनप्रीत उर्फ मुन्ना व राजवीर कौर व तीसरे को भी अपना साथी बुताया। उस गाड़ी का नंबर UK04N4806 था जिसकी फोटो मेरे पास है। इन लोगो ने मुझे अक्खा मोड पर ही गाडी के कैटलॉग व उसकी विशेष जानकारी दी अथवा अपने आपको पजाबी बताया और इन दोनो ने मुझे अपना महेन्द्र का अपेजपदह कार्ड भी मुझे दिया। मुझे विश्वास में लेकर 6,50,000/– केश ले लिये और उसकी रसीद मुझे दे दी और जल्दी गाडी डिलवरी देने का आश्वासन दिया। केश देते हुये मैने उनकी फोटो और वीडियो ले ली जो मेरे पास है। मुझ पर विश्वास जमाने के लिए मुझे खाली चेत दियो जौ बैंक ऑफ बडौदा के है। मेरे पंजाब आने के बाद इनकी दी हुयी कंजम पर मैने इन्हे फोन कर तो इन्होने मुझे बुकिंग अमाउन्ट बताकर और पैसै की डिमाण्ड करी तो मैंने उसी अकाउन्ट मे दिनांक 30.05.2023 को 3,00,000/– रुपये और 29.4.23 को 50,000/– RTGS करे व इन लोगो ने मुझे व्हाटऐप पे गाडी की फोटो और उससे सम्बन्धित चीजे भेजी तो मैंने इनसे कोई इनका नाम पता प्रूफ माँगा तो राजवीर कौर ने मुझे अपना पासपोर्ट भेज दिया जब इनकी दी हुई Date डिलीवरी की निकल गयी तो मैने इनसे मिलने के लिये कहा मेरे बहुत फोन व रिक्सेट करने पर इन्होने मुझे फिर उसी जगह पर बुलाया मन्दिर के पास अक्खा मोड राम गंगा के आगे जब मैं इन्हे वहा मिला मैने अपने पैसे वापिस करने की मांग करी तो यह लोग मनप्रित व राजवीर कौर व इनके साथी ने मेरे साथ गाली गलौज करते हुये मेरे साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी तथा मुझे छेडछाड व रेप के मुकदमे मे फसाने की धमकी दी। जब मैं वहां से वापिस पंजाब आ गया और इनका दिया चैक संख्या 016575 बैंक आफ बडौडा मैंने अपने अकाउन्ट मे लगवाया वह वाउन्स हो गया इस तरह इन्होने मुझे विश्वास मे लेकर मेरे साथ गाडी के फर्जी कागज बनवाकर षडयन्त्र कर मेरे पैसे हडप लिये और पैसे माँगने पर मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट व जान से मारे की धमकी दी गयी। मनप्रित सिहं व राजवीर कौर व इनके साथी के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–85/2024 धारा–420,406,467,468, 471, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना–कोतवाली, जनपद–बरेली में अभियोग मनप्रीत उर्फ मुन्ना, राजवीर कौर व एक अज्ञात व्यक्ति चालक के विरूद्ध में पंजीकृत किया गया।

संबंधित थाने की आख्या में कथन किया गया है कि साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है सम्पूर्ण साक्ष्य केस डायरी में वर्णित है। अभियुक्त को यदि जमानत दी जाती है तो अभियुक्त उपरोक्त इस जमानत का दुरूपयोग करेगा। जमानत का घोर विरोध किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर अभियुक्त द्वारा वादी एवं गवाहान को डराने–धमकाने तथा फरार होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जमानत आवेदन निरस्त करने की याचना की गयी है।

मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रपत्रों का परिशीलन किया।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर बेईमानी से उत्प्रेरित होकर छल के प्रयोजन से वादी मुकदमा से रूपये लेने का अभियोग है

तथा प्रार्थी/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है किन्तु दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है, विवेचना अभी प्रचलित है। मामला आर्थिक अपराध से संबंधित है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की उक्त अपराध में संलिप्तता, अभियुक्त के कृत्य तथा उसकी इस अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये, अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रनजीत सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र सं0 502/2026(295/2026)मुकदमा अपराध संख्या–85/2024 धारा–420,467,468,471,504,506भा0दं0सं0 थाना– कोतवाली, जनपद–बरेली के मामले में निरस्त किया जाता है।

(कमलेश्वर पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(भ्र0नि0 अधि0) कोर्ट सं0–1,बरेली
जे0ओ0कोड–2722

Digitally signed by KAMLESHWAR PANDEY
Date: 2026.02.19 17:19:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court